संख्या-756/2017/1303/22-2-2017-17(433)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र श्री सोनेलाल निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3 (एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र श्री सोनेलाल, निवासी-मो0 काजीपुरा, थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने मकान के सामने पानी निकालने के विवाद को लेकर दिनांक 22/23.01.1982 को रात्रि लगभग 02:30 बजे कुल्हाडी से लेखराज की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-237/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 10.08.1984 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.1991 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 35 वर्ष 02 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 46 वर्ष 00 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है जिस पर सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में अभियुक्त् है एवं बन्दी की रिहाई के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सतीश (बन्दी संख्या-11078) पुत्र श्री सोनेलाल निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-756/2017/1303(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-756/2017/1303/22-2-2017-17(433)/2017

दिनांक 11 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र श्री सोनेलाल, निवासी-मो0 काजीपुरा, थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने मकान के सामने पानी निकालने के विवाद को लेकर दिनांक 22/23.01.1982 को रात्रि लगभग 02:30 बजे कुल्हाडी से लेखराज की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-237/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 10.08.1984 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.1991 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 35 वर्ष 02 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 46 वर्ष 00 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है जिस पर सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में अभियुक्त है एवं बन्दी की रिहाई के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।